12/4/22 पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित।
वकील उभय पक्ष उपस्थित कि पुन: बहस सुनी गई। पत्रावली का एवं राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन परीक्षण पाया गया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित ग्राम औरंगाबाद कला परगना माण्डा इंगला के खाता सं0 12 में वर्णित आराजी नम्बर 81 रकबा 1.6100 हे0 अर्थात 6 बीघा 7 बिस्वा भूमि वादग्रस्त है जो शपथपत्र एवं वाद अनुसार प्रार्थीगण के कब्जे कायम में होना पाई जाती है प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया का प्रकरण पाया जाता है सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। वाद के निर्णय तक पक्षकारों

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिकिल जज
	के हित की रक्षा के लिए प्रकरण में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किया उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना स्वीकार किया जाकर विपक्षीगण को मूल वाद के निस्तारण तक अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी ग्राम नौरंगाबाद कोटा पटवार मण्डल डूंगला के खाता संख्या 72 में वाकिए आराजी नम्बर 81 रकबा 1.6100 है. अर्थात 6 बीघा 7 बिस्वा भूमि पर प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में दखलअन्दाजी नहीं करे। आराजी को किसी भी प्रकार से हस्तान्तरित विक्रय नहीं करें। मौके एवं राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। आदेश सुनाया गया।
	पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी, डूंगला